।। कार्यालय जिलाधिकारी टिहरी गढ़वाल, नई टिहरी ।।

राजस्व उपनिरीक्षक(पटवारी) के रिक्त पदों पर प्रशिक्षण हेतु संशोधित विज्ञप्ति ।

संशोधित विज्ञप्ति संख्याः–964 /सात–38(2014–15)/विज्ञप्ति–2015, दिनांक, नई टिहरी, दिसम्बर, 23,2015

उत्तराखण्ड शासन राजस्व अनुभाग–1 द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या–1754/XVIII(1)/2015-03(3)/2014 T.C.-1 दिनांक 19.12.2015 में दिये गये निर्देशों के कम में जनपद में राजस्व उपनिरीक्षक(पटवारी) के रिक्त पदों पर प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए जारी विज्ञप्ति संख्या–102/सात–38 (2014–15)/विज्ञप्ति–2015 दिनांक 09.10.2015 एवं संशोधित विज्ञप्ति संख्या–372/सात–38 (2014–15)/विज्ञप्ति–2015 दिनांक 18.11.2015 में निम्नानुसार आंशिक संशोधन किया जाता है:–

1. जनपद में कुल 14(चौदह) रिक्तियों के सापेक्ष अभ्यर्थियों का राजस्व उप निरीक्षक (पटवारी) प्रशिक्षण में प्रवेश के लिए चयन हेतु आवेदन पत्र प्राप्त करने की अन्तिम तिथि को दिनांक 31.12.2015 तक बढ़ाया जाता है । आवेदन पत्र पूर्व प्रकाशित विज्ञप्ति दिनांक 09.10.2015 में निर्धारित प्रारूप पर दिनांक 31 दिसम्बर, 2015 को अपराहन् 5:00 बजे तक स्वीकार किये जायेंगे । अभ्यर्थियों द्वारा पंजीकृत डाक के अतिरिक्त अन्य माध्यमों(यथा साधारण डाक/कूरियर) से अथवा स्वयं भी अपेक्षित अभिलेख एवं आवेदन पत्र अन्तिम तिथि के पूर्व जिला मुख्यालय पर जमा किये जा सकते हैं ।

2. राजस्व उपनिरीक्षक(पटवारी) के रिक्त पदों पर प्रशिक्षण हेतु शारीरिक दक्षता हेतु पुरुष अभ्यर्थियों को 60 मिनट में 07 कि0मी0 और महिला अभ्यर्थियों को 35 मिनट में 3.5 कि0मी0 दौड़ना आवश्यक है ।

3. राजस्व उपनिरीक्षक(पटवारी) के रिक्त पदों पर प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए आवेदन पत्र जमा करने की अन्तिम तिथि 30 नवम्बर 2015 को बढ़ाकर दिनांक 31 दिसम्बर 2015 निर्धारित की गयी है, जिसके फलस्वरूप परीक्षा की समय–सारिणी निम्नानुसार पुनः निर्धारित की जाती है:–

1	आवेदन पत्र जमा करने की अन्तिम तिथि	31.12.2015
2	शारीरिक दक्षता परीक्षण	दिनांक 15.02.2016 से 15.03.2016 तक(एक माह)
3	लिखित परीक्षा की तिथि	22.05.2016(रविवार)
4	परीक्षाफल घोषित करने की तिथि	04.09.2016

4. अभ्यर्थी द्वारा स्वप्रमाणित प्रमाण पत्र एवं फोटोग्राफ्स मान्य होंगे ।

5. अभ्यर्थी द्वारा संलग्न कोई भी प्रमाण पत्र यथा सेवायोजन में पंजीकरण, पिछड़ी जाति का प्रमाण पत्र आदि आवेदन पत्र प्राप्त करने की अन्तिम तिथि 31.12.2015 तक वैध होना चाहिए । ऐसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा पूर्व प्रकाशित विज्ञप्ति दिनांक 09.10.2015 एवं संशोधित विज्ञप्ति दिनांक 18.11.2015 के कम में आवेदन किया गया है उन्हें पुनः आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है किन्तु यदि उनके द्वारा आवेदन में संलग्न किये गये सेवायोजन पंजीकरण प्रमाण पत्र/जाति प्रमाण पत्र की वैधता अवधि समाप्त हो गयी है तो उन आवेदकों को सूचित किया जाता है कि वे दिनांक 31.12.2015 तक अपना सेवायोजन पंजीकरण नवीनीकृत करवा लें/नवीनतम् सेवायोजन पंजीकरण प्रमाण पत्र/जाति प्रमाण पत्र बनवा लें तथा उक्तानुसार नवीनीकृत/नवीनतम सेवायोजन पंजीकरण प्रमाण पत्र/जाति प्रमाण पत्र शारीरिक दक्षता तिथि को अथवा जिला कार्यालय टिहरी गढ़वाल में प्रस्तुत होकर जमा कर लें ।

6. राजस्व उपनिरीक्षक(पटवारी)के पद पर प्रशिक्षण हेतु आरक्षण के सम्बन्ध में स्पष्ट किया जाता है कि विकलांग कोटे में कोई भी पद आरक्षण हेतु चिन्हित नहीं हैं । इसके अतिरिक्त यह भी स्पष्ट किया जाता है कि जनपद में भूतपूर्व सैनिकों हेतु राजस्व उपनिरीक्षक(पटवारी) का कोई पद आरक्षित नहीं है अतः भूतपूर्व सैनिकों द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र सामान्य श्रेणी के पदों के सापेक्ष स्वीकार्य होंगे ।

7. अन्य सरकारी विभागों में कार्यरत कर्मचारियों द्वारा आवेदन पत्र यथास्थान अग्रसारित किया जाना आवश्यक है । इस सम्बन्ध में अभ्यर्थियों द्वारा दिया गया Affidavit मान्य नहीं होगा । सरकारी कर्मचारियों द्वारा किये गये आवेदन पत्र में सक्षम प्राधिकारी द्वारा अग्रसारित किया गया है, किन्तु अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न नहीं किया गया है, तो शारीरिक दक्षता की तिथि को अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया जाय । यदि सक्षम प्राधिकारी का अनापत्ति प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं होता है तो शारीरिक दक्षता में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जायेगी ।

8. आरक्षित श्रेणी का उल्लेख होने तथा तदनुसार शुल्क जमा किये जाने, किन्तु आरक्षण का प्रमाण पत्र संलग्न न किये जाने पर शारीरिक दक्षता की तिथि को आरक्षण का प्रमाण पत्र प्राप्त कर समिति द्वारा उक्त की पुष्टि की जायेगी । शारीरिक दक्षता के लिए अभ्यर्थी को औपबन्धिक प्रवेश की अनुमति दे दी जायेगी ।

9. अभ्यर्थी को आवेदन पत्र निरस्त किये जाने की सूचना सन्निरीक्षा के पश्चात् ही कारण सहित प्रेषित की जायेगी ।

10. अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता परीक्षा हेतु निर्धारित प्रारूप पर प्रवेश पत्र, जिसमें शारीरिक दक्षता परीक्षा स्थल एवं तिथि का उल्लेख हो, प्रेषित किया जायेगा । शारीरिक दक्षता तिथि को, ऐसे अभ्यर्थी जिनके आवेदन पत्रों में जो भी कमियाँ हों, यथा अपेक्षित सेवायोजन पंजीकरण, आरक्षण सम्बन्धी प्रमाण पत्र, आवेदन पत्र में हस्ताक्षर की कमी, मूल बैंक ड्रॉफ्ट या पोस्टल ऑर्डर, स्वप्रमाणित फोटोग्रॉफ्स, स्वप्रमाणित प्रमाण पत्र एवं अंक तालिकायें आदि संलग्न नहीं हैं, को प्राप्त किये जाने हेतु वांछित अभिलेखों का उल्लेख सम्बन्धित अभ्यर्थी के प्रवेश पत्र में कमांकित कर तथा उक्त अभिलेखों की कमी के कारण आवेदन पत्र निरस्त न करके औपबन्धिक प्रवेश हेतु प्रवेश पत्र निर्गत किया जायेगा । ऐसे अभ्यर्थियों का विवरण जनपद की बेवसाइट **www.tehri.nic.in** पर भी अपलोड किया जायेगा। जिन अभ्यर्थियों द्वारा शारीरिक दक्षता परीक्षण से पूर्व कमियों का निराकरण करा लिया जायेगा, वे ही शारीरिक दक्षता परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु अर्ह होंगे । लिखित परीक्षा के लिए प्राविधिक शिक्षा परिषद द्वारा यथासमय पृथक से प्रवेश पत्र निर्गत किये जायेंगे ।

11. इस कार्यालय द्वारा जारी पूर्व विज्ञप्ति संख्या–102/सात–38 (2014–15)/विज्ञप्ति–2015 दिनांक 09.10.2015 एवं संशोधित विज्ञप्ति संख्या–372/सात–38 (2014–15)/विज्ञप्ति–2015 दिनांक 18.11.2015 में उल्लिखित शर्ते यथावत् रहेंगी । उक्त विज्ञप्तियाँ दैनिक समाचार पत्रों हिन्दुस्तान के दिनांक 12.10.2015 एवं 20.11.2015 तथा राष्ट्रीय सहारा के दिनांक 12.10.2015 एवं 19.11.2015 के अंकों में प्रकाशित की गई हैं। इसके अतिरिक्त उक्त विज्ञप्तियाँ जनपद की बेवसाइट **www.tehri.nic.in** पर भी उपलब्ध हैं ।

जिलाधिकारी,
टिहरी गढ़वाल।

प्रतिलिपिः–

1. जिला सूचना अधिकारी, टिहरी गढ़वाल को इस आशय से प्रेषित कि इस विज्ञप्ति को दो स्थानीय लोकप्रिय समाचार पत्रों हिन्दुस्तान दैनिक एवं राष्ट्रीय सहारा में न्यूनतम शासकीय दरों/फोन्ट साईज (DAVP Rates) पर अनिवार्यतः दिनांक 23–12–2015 को प्रकाशित करवाना सुनिश्चित करेंगें।
2. जिला सूचना विज्ञान अधिकारी(DIO NIC) टिहरी गढ़वाल को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्त विज्ञप्ति को पाठ्यक्रम सहित आज ही जनपद की बेवसाइट **www.tehri.nic.in** पर अपलोड करना सुनिश्चित करेंगें।

जिलाधिकारी,
टिहरी गढ़वाल।